BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL,
NEW DELHI BENCH AT NEW DELHI
CAA-77/(ND)/2021
CONNECTED WITH
CA(CAA)-27/(ND)/2021

IN THE MATTER OF:

SECTIONS 230 AND 232 OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND RULE 24(2) OF THE COMPANIES (COMPROMISES, ARRANGEMENTS AND AMALGAMATIONS) RULES, 2016 AND RULE 11 OF THE NATIONAL LAW TRIBUNAL RULES, 2016

AND IN THE MATTER OF SCHEME OF AMALGAMATION OF:

QWIKCILVER SOLUTIONS PRIVATE LIMITED (Petitioner No.1/Transferor Company)

AND

PINE LABS PRIVATE LIMITED (Petitioner No. 2/Transferee Company)

Notice of Petition

A petition under Sections 230 and 232 of the Companies Act, 2013, seeking an order for sanctioning the Scheme of Amalgamation **(Scheme)** of Qwikcilver Solutions Private Limited **(Petitioner No.1/Transferor Company)** and Pine Labs Private Limited **(Petitioner No. 2/Transferee Company)**, hereinafter collectively referred to as the **"Petitioner Companies"**, and their respective shareholders and creditors, was presented by the Petitioner Companies on 30 July 2021, and the said petition is fixed for hearing before the New Delhi Bench of National Company Law Tribunal on 18 October 2021.

The Petitioner Companies hold Certificate of Authorisations from Reserve Bank of India (RBI) to set up and operate a payment system for semi-closed prepaid payment instruments (PPIs) in India. Pursuant to and upon consummation of the Scheme, the Transferor Company will surrender its Certificate of Authorisation and the Transferee Company (surviving entity) will continue to issue PPIs under its Certificate of Authorisation.

Pursuant to and on consummation of the Scheme, the Transferor Company will cease to exist as a legal entity and all issuer obligations towards the customers for valid PPIs (including instruments eligible for revalidation) issued by the Transferor Company will be subsumed by the Transferee Company.

Any person desirous of supporting or opposing the said petition should send to IndusLaw, Advocates for the Petitioner Companies, at the address mentioned below, the notice of his intention, signed by him or his advocate, with his name and address, so as to reach the Advocates for the Petitioner Companies, not later than two days before the date fixed for the hearing of the petition. Where he seeks to oppose the petition, the grounds of opposition or a copy of his affidavit shall be furnished with such notice.

A copy of the petition will be furnished by the undersigned, to any person requiring the same, free of charge.

Dated this 27th day of September 2021
IndusLaw
(Advocates for Petitioner Companies)
Address: IndusLaw, 2nd Floor, Block D, The MIRA, Ishwar Nagar, New Delhi-110065
Ph:+911147821000

Pine Labs | Qwikcilver GIFTCARDS AND BEYOND

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण
नई दिल्ली पीठ के समक्ष
कंपनी याचिका संख्या सीए (सीएए)-77/(एन डी)/2021
के साथ जुड़े हुए
कंपनी याचिका संख्या सीए-27/(एन डी)/2021

मामले में:
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 और 232 और नियम 24(2) कंपनि (समझौते, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 और राष्ट्रीय कानून न्यायाधिकरण नियम, 2016 के नियम 11

और समामेलन की योजना के मामले में:
क्विकसिल्वर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (याचिकाकर्ता संख्या 1/अंतरक कंपनी)
तथा
पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड (याचिकाकर्ता संख्या 2/अंतरिती कंपनी)

याचिका की सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 और 232 के तहत, क्विकसिल्वर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (याचिकाकर्ता संख्या 1/अंतरक कंपनी) और पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड (याचिकाकर्ता संख्या 2/अंतरिती कंपनी), और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों समामेलन की योजना की मंजूरी के लिए एक आदेश की मांग करने वाली याचिका द्वारा 30 जुलाई 2021 को प्रस्तुत किया गया था, और उक्त याचिका 18 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की नई दिल्ली पीठ के समक्ष याचिका की सुनवाई नियत की गयी है।

याचिकाकर्ता कंपनियां भारत में सेमी-क्लोज्ड प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) के लिए भुगतान प्रणाली स्थापित करने और संचालित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राधिकरण का प्रमाण पत्र रखती हैं। योजना के पूरा होने के बाद, अंतरक कंपनी अपने प्राधिकरण का प्रमाण पत्र सौंप देगी और अंतरिती कंपनी (जीवित इकाई) अपने प्राधिकरण प्रमाण पत्र के तहत पीपीआई जारी करना जारी रखेगी।

योजना के पूरे होने पर, अंतरक कंपनी एक कानूनी इकाई के रूप में अस्तित्व में नहीं रहेगी और ग्राहकों के लिए अंतरक कंपनी द्वारा जारी वैध पीपीआई (पुनर्वैधीकरण के लिए पात्र उपकरणों सहित) के लिए सभी जारीकर्ता दायित्वों को अंतरिती कंपनी द्वारा सम्मिलित किया जाएगा।

याचिका का समर्थन या विरोध करने को इच्छुक व्यक्ति अपना नाम व पता सहित अपना आशय का नोटिस जिस पर उनके या उनके अधिवक्ता के हस्ताक्षर हो, याची के अधिवक्ता को भेजे ताकि वह आशय याचिका की सुनवाई की नियत तारिख से कम से कम दो दिन पूर्व याची के अधिवक्ता को प्राप्त हो जाये। यदि वह याचिका का विरोध करना चाहता है तोह ऐसी नोटिस के साथ विरोध का कारण या शपथ-पत्र की एक प्रति पेश की जाएगी। याचिका की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी द्वारा इसकी आवश्यकता वाले किसी भी व्यक्ति को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

तारीख 27 सितंबर, 2021
इंडसलॉ
(हस्ताक्षर)
(याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता के लिए)
पता: इंडसलॉ, दूसरी मंजिल, ब्लॉक डी, मीरा, ईश्वर नगर, नई दिल्ली-110065
फोन: +911147821000